राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प–09 / 2011 / 556 दिनांक : 5/7/11

–: आदेश :–

निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका नई दिल्ली–110067 के पत्र क्रमांक F.No.2-19/PHM/2010-Acad. दिनांक 06.05.11 के क्रम में Post Graduate Diploma in Pulic Health Management (PGDPHM) Course-2011-12 में एक वर्ष के कोर्स के लिए निम्नलिखत चिकित्सकों को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर की आई.डी. संख्या 4406 / PHS / 2011 दिनांक 29.06.11 के तहत निम्न शर्तो के अध्यधीन कोर्स हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. डा0 आर0एन0 यादव, व0चि0अ0, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी (RCHO), कोटा।
2. डा0 राजा चावला, व0चि0अ0, उप निदेशक (एस.टी.आई.) राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।
3. डा0 गोकुल लाल मीणा, व0चि0अ0, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, (RCHO) सवाईमाधोपुर।
4. डा0 संजय सक्सैना, चि0अ0, जिला परियोजना समन्वयक (DPC), आर.एच.एस.डी.पी., जयपुर।
5. डा0 सत्यनारायण धौलपुरिया, चि0अ0, जिला परियोजना समन्वयक (DPC), आर.एच.एस. डी.पी.झुन्झुनू।

शर्ते :–

1. कोर्स फीस व अन्य कोई वित्तीय भार यदि कोई हो तो वह एनआरएचएम द्वारा वहन किया जायेगा।
2. कोर्स अवधि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार ड्यटी मानी जायेगी।
3. कोर्स समाप्ति पश्चात् कम से कम तीन वर्ष की राज्य सेवा करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रशिक्षणार्थी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करने उपरान्त ही इन्हें कोर्स के लिए कार्यमुक्त करेंगें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प–09 / 2011 / 556 दिनांक : 5/7/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 4406 / PHS / 2011 दिनांक 29.06.11 के क्रम में।
3. मिशन निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख हैं कि उक्त कोर्स की फीस व अन्य वित्तीय भार यदि हो तो एनआरएचएम द्वारा वहन किया जायेगा।
4. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका नई दिल्ली–110067 को उनके पत्र क्रमांक F.No.2-19/PHM/2010-Acad. दिनांक 06.05.11 के क्रम में।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि आप संबंधित चिकित्सक से 100/– रू. का शपथ पत्र शर्त संख्या 03 के अनुसार नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र प्राप्त कर इन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
9. आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।